न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एम. एल. चौहान, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 85/2018 (उदयपुर डिक्री)

पपिन्द्र सिंह पिता श्री शंभुसिह राजपूत, निवासी खेड़ी (आकोला), तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती शंकर कुंवर पत्नी श्री शंभुसिह राजपूत, निवासी खेड़ी (आकोला), तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्रीमती विष्णु कुंवर पुत्री श्री शंभुसिह राजपूत पत्नी श्री रामचन्द्र राजपूत, निवासी मोरखेड़ा, तहसील सितामउ, जिला मन्दसौर (म.प्र.)
3. हिम्मत सिंह पिता श्री शंभुसिह राजपूत, निवासी खेड़ी (आकोला), तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
4. महावीर सिंह पिता श्री शंभुसिह राजपूत, निवासी खेड़ी (आकोला), तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
5. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार/उप पंजीयक वल्लभनगर, जिला उदयपुर।
6. रवि पिता श्री पुष्कर जी पाटीदार, निवासी 9–ए, अरिहन्त कॉलोनी, पॉवर हाऊस के पास, 100 फिट रोड़, जिला राजसमन्द (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा–223 राजस्थान
काश्त. अधि.–1955 विरूद्ध निर्णय व
डिक्री सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)
वल्लभनगर दि017.05.18 प्र.सं. 26/14

———/———

उपस्थित(वक्तबहस) 1– श्री नरेश जणवा अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री सुखलाल मेघवाल अभिभाषक रे.सं. 6

———::———

निर्णय **दिनांक 27–07–2021**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट द्वारा रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया कि मौजा खेड़ी

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L. Chouhan
Date: 2021.08.10 12:12:36 IST
Reason: SelfAttested

में वाद पत्र की परिशिष्ट ''क'' की आराजी नंबर 34/2, 56, 60/1, 80,/1, 89/2 किता 5 रकबा 63 बीघा 12 बिस्वा भूमि स्थित होकर वर्तमान राजस्व रेकार्ड में शम्भूसिंह पिता तख्तसिंह के नाम दर्ज है। इसी प्रकार परिशिष्ट ''ख'' की आराजी नंबर 55, 60/2, 94, 95, 96, 97 किता 6 रकबा 7 बीघा 15 बिस्वा भूमि स्थित होकर वर्तमान राजस्व रेकार्ड में शम्भूसिंह पिता तख्तसिंह के नाम दर्ज है। इसी प्रकार परिशिष्ट ''ग'' की आराजी नंबर 115 रकबा 6 बिस्वा भूमि स्थित होकर वर्तमान राजस्व रेकार्ड में शम्भूसिंह पिता तख्तसिंह के नाम 1/2 हिस्से से दर्ज है। पक्षकारान का सजरा वाद पत्र की कलम संख्या 2 अनुसार होकर परिशिष्ट ''क'' व ''ख'' की आराजिया में वादी का 1/5 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 4 का 4/5 हिस्सा है। इसी प्रकार परिशिष्ट ''ग'' आराजी चाह वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 का संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा होकर इसी अनुसार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। प्रतिवादी संख्या 1 से 4 उनके हिस्से से ज्यादा का अंकन कराकर वादी को बेदखल करने पर आमादा हैं। अतः उपरोक्तानुसार विभाजन कराया जाकर वादी को उसके स्वतंत्र हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे एवं स्थायी निषेधाज्ञा दिलायी जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण राजस्व लोक अदालत में रखकर दिनांक 17–05–2018 को यह निर्णय पारित किया कि शम्भूसिंह द्वारा आराजी नंबर 34/2 रकबा 58 बीघा 19 बिस्वा में से 25 बीघा भूमि का रजिस्टर्ड विक्रय दिनांक 12–07–2012 को प्रतिवादी संख्या 6 के पक्ष में कर दिया था, इस कारण 25 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 6 को खातेदार घोषित करते हुए शेष आराजियात में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 प्रत्येक को 1/5 हिस्से का खातेदार घोषित किया तथा आराजी नंबर 115 रकबा 6 बिस्वा में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 प्रत्येक को 1/6 हिस्से का खातेदार घोषित किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 10–09–2018 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये गये। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 6 की ओर से वकील श्री सुखलाल मेघवाल उपस्थित हुए। शेष रेस्पोन्डेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अपीलान्ट की ओर से लिखित बहस भी प्रस्तुत की गयी, जो पत्रावली के रेकार्ड पर है।

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.08.10 12:12:36 IST
Reason: SelfAttested

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ धारा 5 मयाद अधिनियम का आवेदन प्रस्तुत किया गया तथा निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी उन्हें दिनांक 24—07—2018 को हुई। जानकारी होते ही नकले निकलवाकर अपील अन्दर अवधि प्रस्तुत कर दी गयी है। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

हमने उक्त आवेदन पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। अखण्डित शपथ पत्र एवं न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

गुणावगुण पर बहस करते हुए वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों एवं लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को पुनः देहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को बिना सुने एवं बिना साक्ष्यों का विवेचन किये मनमकसूद तरीके से निर्णय पारित किया है। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 6 द्वारा किसी प्रकार का जवाबदावा प्रस्तुत नहीं किये जाने के बावजूद भी उसका हिस्सा मानते हुए खातेदार घोषित कर दिया है, जबकि रेकार्ड में ऐसा कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, जिसके आधार पर उसका हिस्सा माना जावे, न ही पक्षकारों के मध्य किसी प्रकार का राजीनामा हुआ है। विवादित भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की अविभाजित पैत्रृक सम्पत्ति होने से परिवार के सभी सदस्यों की सहमति के बिना भूमि का विक्रय नहीं किया जा सकता। अधिनस्थ न्यायालय ने न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरीत जाकर निर्णय व डिक्री पारित की है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त फरमायी जावे।

उक्त बहस का जवाब देते हुए रेस्पोन्डेन्ट के अभिभाषक ने बताया कि दिनांक 17—07—2018 को सभी पक्षकारों की उपस्थिति में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया है। विक्रय पत्र पर साक्ष्य के रूप में शम्भूसिंह के लड़कों के हस्ताक्षर हैं। जब तक रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को सिविल न्यायालय से निरस्त नहीं किया जाता तब तक वादी उक्त विक्रय पत्र के विरूद्ध किसी प्रकार की दाद पाने के अधिकारी नहीं है। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 6 द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से भूमि क्रय कर कब्जा प्राप्त कि[illegible] है। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.08.10 12:12:36 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय ने रेस्पोन्डेन्ट संख्या 6 द्वारा क्रय की गयी आराजियात का उसे खातेदार घोषित करते हुए शेष आराजियात का अपीलान्ट व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 4 को खातेदार घोषित किया है, जो विधि सम्मत होने से अपील खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन कर पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 6 द्वारा दिनांक 12–07–2012 को अपीलान्ट के पिता शम्भूसिंह से आराजी नंबर 34/2 रकबा 58 बीघा 19 बिस्वा में से 25 बीघा भूमि रजिस्टर्ड क्रय कर कब्जा प्राप्त किया गया है। उक्त विक्रय पत्र पर शम्भूसिंह के पुत्रों के भी साक्ष्य के रूप में हस्ताक्षर हैं। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 6 को 25 बीघा भूमि का खातेदार घोषित करते हुए शेष आराजियात का अपीलान्ट व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 4 को खातेदार घोषित किया है, जो विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 17–05–2018 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। निर्णय आज दिनांक 27–07–2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.08.10 12:12:36 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एम. एल. चौहान, आर.ए.एस.** .....

पपिन्द्रसिंह पिता शम्भूसिंह राजपूत निवासी खेड़ी (आकोला), तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर बनाम **श्रीमती शंकरकुंवर पत्नी शम्भूसिंह राजपूत, निवासी खेड़ी (आकोला), तहसील वल्लभनगर व अन्य**

अपील नं.....**85 / 18**.....व नाराजगी डिगरी अदालत.....**सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)** ..... **वल्लभनगर**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**.....17**.....माह.....**05**.....**2018**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**27**....माह.....**07**.....सन् **2021** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री नरेण जणवा..**....मिनजानिब अपीलान्ट व.....**श्री सुखलाल मेघवाल**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 17–05–2018 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**27**.....माह.....**07**.....**2021** को जारी किया गया ।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.08.10 12:12:36 IST
Reason: SelfAttested